FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ..... मुकाम .....

..... बनाम .....

किस्म मुकदमा ..... नं. ..... सन् .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज
	[illegible]
8/3/22	[illegible]
13/4/22	पत्रावली पेश हुई। पंजीयक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर होने के कारण पत्रावली में आगामी तारीख 8/6/22 नियत की जाती है।
8/6/22	[illegible]
02/8/2023	पत्रावली [illegible] पक्ष उपस्थित। [illegible] 11 CPC [illegible] पक्षों की सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 17/8/2023 के [illegible]

17/8/2023 बहुलाय उभय पक्षों के व्यस्त रहने के निर्णय नहीं लिखवाया जा सका। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 5/9/2023 के [illegible]

दावा संख्या 172 / 2014

उनवान दयालचन्द वगै० बनाम कौशल्या देवी वगै०

9.2023 पत्रावली पेश हुई। बहुलाय उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 सी.पी.सी एवं 151 जा.दी. पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1,2 ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनों का दौहरान करते हुये कथन किया कि वादी ने कस्बा नीमकाथाना की भूमि ख०न० 162 जिसके पुराने ख.न. 374/1 व भूमि ख.न. 162/2929 जिसके पुराने ख.न. 374/2 को आधार बनाकर वाद दुरूस्ती रिकार्ड व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है तथा विवादित भूमि को कृषि भूमि अंकित करते हुये सहायता चाही गई है। माननीय न्यायालय को कृषि भूमि के सम्बन्ध में ही वाद सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार है। विवादित भूमि कृषि भूमि नहीं है। विवादित भूमि का नाप०क० संख्या 4133 दिनांक 11.10.2013 द्वारा सम्पूर्ण खाता नगरपालिका नीमकाथाना के नाम मै.मु. आबादी के रूप में दर्ज हो चुका है। आबादी भूमि के सम्बंध में वाद सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। वादीगण का वाद कार्य बाई ला के तहत डीबार होने से खारीज किये जाने योग्य है। नगरपालिका जो की खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार है उसको भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस लिये कुसंयोजन व असंयोजन के दोष के कारण भी वादी का वाद खारीज किये जाने योग्य है। प्रतिवादिया नं. 2 ने ख.न. 162 में 1822.50 वर्गगज का आवासीय भूखण्ड अनिता यादव व एकता यादव दिनांक 10.3.2013 को जरिये इकरारनामा नोटरी से तस्दीक करवाकर विक्रय कर दिया है इस प्रकार भी भूमि आबादी के काम आ रही है। अतः प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 सी.पी.सी व 151 जा.दी.स्वीकार किया जावे एवं दावा खारीज किया जावे। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने आर.आर.टी. 2013(2) रामबाबू व अन्य बनाम सोहन सिंह पेज सं. 808 पेश की।

दौराने बहस वकील अप्रार्थी/वादी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों का दौहरान करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है। खातेदारी नगरपालिका के नाम दर्ज हो जाने से भूमि कि किस्म कृषि से अकृषि में तब्दील नहीं [illegible] कृषि के काम आ रही है। आवासीय रूपान्तरण नहीं करवाया गया [illegible] किसी प्रकार विधि द्वारा बाधित नहीं है। वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र केवल प्रकरण को दैरीना करने के मकसद से पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

राजवी[illegible] यादव

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.30 13:49:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षों पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं दस्तावेजात व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया गया। कस्बा नीमकाथाना की जमाबन्दी सम्वत 2076-2078 का अवलोकन से पाया गया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 182 रकबा 0.29 है। एवं खसरा नम्बर 182/2829 रकबा 0.37 हैक्ट सम्पूर्ण रकबा नगरपालिका नीमकाथाना के नाम दर्ज रिकार्ड होकर भूमि की किस्म गैर मु आबादी दर्ज किया हो चुकी है। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा से भी जाहिर होता है कि राजमा देवी द्वारा अनिता यादव व एकता यादव दिनांक 10.3.2014 को आवासीय भूखण्ड का विक्रय किया गया है। प्रस्तुत रिकार्ड एवं दस्तावेज से जाहिर है कि दावा दायरी के पूर्व से ही विवादित भूमि नगरपालिका नीमकाथाना के नाम दर्ज होकर भूमि की किस्म गैर मु आबादी दर्ज हो चुकी थी। गैर मु आबादी के सम्बन्ध में वाद सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीर भी प्रकरण में भूतत्या चस्पा होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वकील प्रार्थी/ प्रतिवादी सं 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी व 151 जाप्ता स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर तारीख से वाद होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

डिक्री व मुकदमी इकरारनाई
(ऑर्डर 20 रूल 6 / जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' 1)

उपखण्ड अधिकारी	मुकाम	नीमकाथाना
अदालत	राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)	उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
बनाम	बनाम	
वंशलक्ष्मन वगै०		लीशल्या देवी वगै

वादीगण — प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं 172 सन 2014

मुकदमा आज बाबते इनकिसाल कर्ई रू व रू राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) अधिकारी नीमकाथाना व हाजरी श्री नरेश जावड एडवोकेट वादी मिस्जातिब की शमुदमात अपवात वकील प्रतिवादी सं 1 2 मिस्जातिब मुद्दायलाह पेश होकर, या जाता है व डिक्री दी जाती है कि वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी व 151 जाप्ता स्वीकार किया जाकर दावा खारीज किया जाता है।

× मुबलिग ..... × बाबत ..... ×

मुकद्दमे के मय सूद बशरह ..... × ..... फीसदी सालाना तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... × ..... को अदा करें।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05 माह 09 सन 2023 को जारी की गई।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
नीमकाथाना (सीकर)

	रूपया	पै	मुद्दायलाह	रूपया	पै
श्री दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
कालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
जह संवृत			महनताना वकील पर		
ा वकील			खर्चा गवाहान		
वाहान			फीस कमिश्नर		
मिश्नर			बाबत इजरायत हुक्मनामा		
ाय हुक्मनामा			मुतफरिक		
के					
मीजान			मीजान		

इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया या नहीं दर्ज करना चाहिए ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.30 13:49:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner